पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

नवलश्याम

ग्राम पंचायत – नवलश्याम
तहसील व ब्लॉक – बिछीवाड़ा
जिला – डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास – नवलश्याम गाँव महाभारतकाल का बसा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि पांचों पांडवों को जब वनवास हुआ तो वे इस क्षेत्र में रहने आये थे। पांचों भाइयों ने एक-एक गाँव बसाया। नकुल ने जो गाँव बसाया उस गाँव का नाम नवलश्याम पड़ा। जो इस समय हमारा गाँव है। लेकिन कालान्तर में यह गाँव उजड़ गया होगा जिसे फिर से अभय सिंह जी चौहान ने बसाया। जिनके द्वारा बनवाया गया गाँव में चामुंडा माता का प्राचीन मंदिर है।

गांव का एक परिचय – डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में नवलश्याम गांव बसा हुआ है। जिसकी ग्राम पंचायत नवलश्याम और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। नवलश्याम भौगोलिक दृष्टी से चतुर्भुजाकार हैं। गांव में तीन फले – वगात फला, रेड फला और बामदरा फला है। नवलश्याम के उत्तर में साबली, दक्षिण में कनबा, पूर्व में भुवनेश्वर और पश्चिम में संचिया गाँव बसा हुआ है। नवलश्याम गाँव में आदिवासियों की मुख्य उपजातियाँ – मनात, रोत, डामोर, तबियाड़, बरंडा, कलासुआ, वरहात आदि रहती हैं। पिछड़ा वर्ग में पाटीदार और नाई, दर्जी तथा सामान्य वर्ग में ब्राह्मण रहते हैं। अनुसूचित जनजाति के लगभग 800 घर। गांव के लोग गेहूं, मक्का, उड़द, चावल आदि फसल पैदा करते हैं। गांववासियों की खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस थाना और पोस्ट ऑफिस नवलश्याम से दो किलोमीटर दूर कनबा में है। नवलशाम में पांच स्कूल है। कॉलेज पढ़ने के लिए डूंगरपुर जाना होता है। नवलशाम में गांव सभा का गठन और शिलालेख 18 फरवरी 2018 को हुआ। गाँव में शिक्षा का अभाव है क्योंकि वह गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश हेतु कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं। गाँव में राशन की दुकान है। पेसा कानून की समझ अभी सभी गाँव वासियों को नहीं है। गाँव के लोगों को दैनिक खरीदारी के लिए नवलश्याम गाँव में ही छोटी मोटी दुकानें हैं अधिक खरीददारी हेतु 2 किलोमीटर दूर कनबा, 10 किलोमीटर दूर बिछीवाड़ा या 20 किलोमीटर दूर डूंगरपुर या जाना पड़ता है।

आवागमन की स्थिति – गांव नवलश्याम डूंगरपुर से 20 किलोमीटर दूर डूंगरपुर-बिछीवाड़ा सड़क मार्ग के उत्तर दिशा में सड़क से तीन किलोमीटर दूर बसा हुआ है। कहीं आने-जाने के लिए उन्हें दो से पांच किलोमीटर पैदल चलकर कनबा जाना पड़ता है। जहां से उनको बस, जीप और टेंपो मिलते हैं। गाँव में जाने के लिए कनबा से उनको टेम्पो मिलता है जो संचिया तक जाता है और वह घंटो इन्तजार के बाद मिलता है। जब तक सवारियों से टेम्पो भर नहीं जाता तब तक टेम्पो नहीं चलता है। जिस से लोग पैदल जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। कनबा से संचिया तक पक्की सड़क है जो गाँव के बीच से होकर गुजरती है वह बिलकुल टूट गयी है। गाँव की इस सड़क से लोगों के घर आने-जाने के लिए पगडंडियाँ हैं। जहाँ केवल पैदल ही जाया जा सकता है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति – गाँव में तीन आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसम में से एक वगात फले में, एक बामदरा फले में और एक नवलश्याम मुख्य गाँव में है। मरीजों के इलाज के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र गाँव में है। बरसात में इस उप स्वास्थ्य केंद्र की छत से पानी टपकता है। निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनबा में है, जो गांव से दो किलोमीटर दूर है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको बिछीवाड़ा

या डूंगरपुर ले जाना पड़ता है जो गांव से क्रमशः 10 और 20 किलोमीटर दूर है। अपने घर से मरीज को सड़क तक चार पाई या झोली में डालकर ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए कनबा जाना पड़ता हैं। पशु अस्पताल भी गांव में नहीं है। वह भी कनबा में ही है। गांव में पांच प्राथमिक और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गांव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

आवागमन की कमी - गाँव में जाने के लिए कनबा से गांववासियों को टेम्पो मिलता है जो संचिया तक जाता है और वह घंटो इन्तजार के बाद मिलता है। जब तक सवारियों से टेम्पो भर नहीं जाता तब तक टेम्पो नहीं चलता है। जिस से लोग पैदल जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। कनबा से संचिया तक पक्की सड़क है जो गाँव के बीच से होकर गुजरती है वह बिलकुल टूट गयी है। गाँव की इस सड़क से लोगों के घर आने-जाने के लिए पगडंडियाँ हैं। जहाँ केवल पैदल ही जाया जा सकता है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। कहीं आने-जाने के लिए गांववासियों को अपने घर से दो से पांच किलोमीटर पैदल उबड़-खाबड़ और कच्चे रास्तों या टूटी सड़क पर चलकर कनबा जाना पड़ता है। जहां से उनको बस, जीप और टेंपो मिलते हैं।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव में आदिवासियों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गांव के समतल जमीनों और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीनों और पहाड़ियों के उपयोग का गांव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। गांव में सिंचाई के साधन ट्यूबवेल, सरजेला नाम का बहुत बड़ा तालाब, नाला, नहर और कुआं है। गांव में वगात फला में नाला है जिस पर एक एनीकट हैं लेकिन वह लीकेज हैं और बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। गांव में कुछ कुओं में वर्ष भर पानी रहता है। सिंचाई के लिए लोगों ने के ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है जिससे बहुत से कुएं गर्मियों में सूख जाते हैं। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की गांव के लोगों के पास कुछ भी योजना नहीं है। गांव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग ट्यूबवेल का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। इसके बारे में भी लोगों की कोई योजना नहीं है न ही गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट ही है। आदिवासी बस्ती के बहुत कम हैंडपंप चालू हैं जिससे उनको गर्मियों में पीने के पानी के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव की उपजाऊ समतल जमीन पर वह धान, गेहूं, मक्का, उड़द, और सब्जियों आदि की खेती करते हैं। शेष जमीन उबड़-खाबड़ है। जिस पर सिर्फ घास होती है। गाँव वासी पशुपालन में भैंस, गाय और बैल भी रखते हैं जिन के गोबर से कंपोस्ट खाद तैयार करके खेतों में भी डालते हैं जिनसे उनकी उपज बढ़ती है। आदिवासियों पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान

वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है।उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। आदिवासियों के पास कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं जिसमें उन्हें 100 रु. प्रतिदिन मजदूरी मिलती है अथवा गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। नवलशाम में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50% है

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं –

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नाला तालाब नहर कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गांव में एक सरजेला नाम का बहुत बड़ा तालाब है जिसमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। नाले पर एक एनीकट बना हुआ हैं लेकिन उसमें से पानी का रिसाव होता है और बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। कुछ कुँए हैं जिनमें पानी पूरे वर्ष रहता है। कुछ कुँए गर्मियों में सूख जाते हैं। आठ हैंडपंप खराब पड़े हैं। सिंचाई के लिए गाँव में निजी ट्यूबवेल है जिससे वह अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं लेकिन गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण उनके ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है।	नाले के एक एनीकट को अगर मरम्मत करके ठीक कर दिए जाएं तथा उस नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गांव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गांव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गांव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गांव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गांव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है।समतल जमीन काफी उपजाऊ है।गांव में बिला नाम जमीनें भी है जिस पर लोगों का कब्जा है। गाँव में चारागाह भी जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गांव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है।चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गांव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है।और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं।जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।

जंगल	गाँव में 52 हेक्टेयर पर जंगल का परकोटा बना हुआ है। जंगल की हालत दयनीय है।	वृक्षारोपण करके जंगल को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जिससे लोगों को लाभुत वन उपज मिल सकता है l
उप स्वास्थ्य केंद्र	मरीजों के इलाज के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र गाँव में है। बरसात में इस उप स्वास्थ्य केंद्र की छत से पानी टपकता है।	उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत कर के हालत सुधारी जा सकती है।
स्कूल	गांव में 5 प्राथमिक स्कूल है और एक सेकेंडरी स्कूल है। विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है तथा बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त कमे भी नहीं है।अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों के शिक्षा का स्तर काफी खराब हैं। बारिश के दौरान छत टपकती है।	अध्यापकों की नियुक्ति करके तथा कमरों का निर्माण और मरम्मत करके हालत सुधारी जा सकती है।
आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी की भी बारिश के दौरान छत टपकती है।	मरम्मत करके हालात सुधारा जा सकता है।
सड़क	पक्की सड़क है मगर टूट-फूट गयी है।गाँव में जो आर.सी.सी. सड़क है वह भी टूट-फूट गयी है।कच्चे रास्ते की मरम्मत का अभाव हैं।पहाड़ों पर लोगों के घर होने से वहाँ तक जाने के लिए चौड़े रास्ते नहीं है।उन लोगों को पगदंडी से अपने बहारों तक जाना पड़ता है।मरीजों के इलाज और बच्चों को विद्यालय आने जाने में काफी कठिनाई आती है।	सड़क और आर.सी.सी. रोड़ की मरम्मत करने से लोगों के आने जाने में काफी सुविधा होगी।आने जाने के रास्ते होने से वहाँ तक साधन भी जा सकते हैं जिससे लोग छोटा-मोटा व्यवसाय भी करके भी अपनी जीविका को बेहतर बना सकते है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गांव के कुछ लोग बकरी, गाय और भैंस पालते हैं। गांव के चरागाह से जो घास मिलती है वह उनके चारे के काम आती है। कुछ आदिवासी परिवारों में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास एक दो गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। उनके लिये बकरी पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती, पशुपालन और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गांव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी 60-70 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 100रु.

प्रति दिन ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति – ज्यादातर गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पेंशन, आवास श्रमिक कार्ड नहीं है। जिन लोगों के आवास बने भी हैं तो उनका भुगतान बाकी है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी–कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी–कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा ना तो उनको चावल और चीनी मिलती है और न ही मिट्टी का तेल मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता –

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांवों में पक्की सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग (P.W.D.) द्वारा किया जाता है। एक बार सड़क बन जाने के बाद वह टूट–फूट गयी तो उसकी मरम्मत में सालों साल लग जाते हैं। वर्तमान में कनबा से गाँव तक जाने वाली सड़क टूट गयी है।जिसमें बीच बीच में बड़े–बड़े गड्ढे बन गए हैं।लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग (P.W.D.) की लापरवाही से उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। गाँव के कच्चे रस्ते पंचायत द्वारा बनाये जाते हैं।आर.सी.सी. सड़क मानकों के अनुसार	गांव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है। साथ ही साथ रास्ते के निर्माण में जिन लोगों की जमीन आ रही हा उनसे सहमति बनाने का प्रयास गाँव सभा गठन के बाद किया जा रहा है।	**तात्कालिक**	

			नहीं बनने के कारण 2-3 साल में ही टूट गयी है।कच्चे षों को चौड़ा भी वहीं किया जाता है।जहाँ सरपंच के अपने लोग है।कुछ लोग अपनी जमीन भी रास्ते के लिए नहीं देना चाहते हैं इसलिए भी रास्तें नहीं बन पाते हैं।			
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव के विद्यालयों में शिक्षकों तथा बच्चों के बैठने के कमरे का अभाव हैं।अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढाई बर्बाद हो रही है।ज्यादातर बच्चों को अक्षरज्ञान तक नहीं होने के कारण शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता भी बच्चों को अशिक्षित होने में मददगार साबित हो रही है।	गांव सभा के गठन के बाद शिक्षा के प्रति लोगों में कुछ जागरूकता आयी है।गाँव सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि बच्चों के पढाई को बेहतर करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति और कमरों के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग में तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा तथा इसके लिए पंचायत के सभी गांवों को सहमत किया जायेगा जिससे शिक्षा विभाग पर दबाव बनाया जा सके l	**तात्कालिक**	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गांव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नतशील बीज और खाद का अभाव है। चारे के अभाव के कारण पशुपल्ट नहीं होने से कम्पोस्ट खाद भी तैयार नहीं हो	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के नाले में पानी रोकने की योजना।गाँव के तालाब की मरम्मत और	**तात्कालिक**	

			पाती हैं।जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढाई जा सकती है।	गहरीकरण।बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना।		
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गांव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं।जिन लोगों के सरपंच के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं तथा जो अतरिक्त शुल्क दे सकते हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। गाँव के कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है।एक दो बार प्रयास करने के बाद वह लोग हताश होकर बैठ जाते हैं।इस मामले में न तो वार्ड पांच न ही सरपंच उनकी मदद करते हैं	गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना।बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना।जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना।बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना। इस कार्य को करने के लिए गाँव सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित करके कुछ लोगों को इसकी जिमीदारी दी गयी हैं।	**तात्कालिक**	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव के लोग सैकड़ों सालों से गाँव में बसे हुए हैं लेकिन अभी तक उनको सरकार द्वारा भूअधिकार पत्र नहीं दिया गया हैं।जो मिला हां है वह भी पट्टा हैं।जो पट्टा भी दिया गया हैं वह जितनी जमीन पर काबिज हैं उसका सम्पूर्ण नहीं दिया गया है।इस समय राजस्व विभाग ने लोगों को	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके	**दीर्घकालिक**	

			पट्टा देना भी बंद कर रखा हैं।आर्थिक संकट और समझ के अभाव के कारण अपने दावे की पैरवी भी नहीं कर रहे हैं।जिससे आगे चल कर उनकी जमीन छीन जाने का संकट बढ़ता जा रहा हैं।	एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करने का निर्णय गाँव सभा में लिया गया है।		
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गर्मियों में भूजल स्तर लगातार नीचे जाने के से पानी की तकलीफ होती है।गाँव में ट्यूबवेल ज्यादा लगने के कारण और वर्षा जल संरक्षण करके बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होने के भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है जिससे पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	**W- Weakness कमजोरी**	**O- Opportunities अवसर**	**T- Threats चुनौतियां**
आवागमन - गांव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	बरसात के दिनों में पैदल चल पाना भी मुश्किल हो जाना। गाँव में जाने के लिए कनबा से संचिया तक टेम्पो घंटो इन्तजार के बाद मिलना। कनबा से संचिया तक पक्की सड़क है बिलकुल टूटी होना।	आवागमन हेतु अच्छी सड़क बनने और मुख्य सड़क ठीक होते ही गाँव में साधन आसानी आ-जा सकेंगे और आने-जाने में समय की बचत होगी। गाँव आसपास के क्षेत्रों से आसानी सकेगा।	गाँव कमेटियों (शांति समिति) का मजबूत नहीं होना । सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल तालाब नहर नाला एनीकट कुआं बोरवेल	एनीकट टूटा हुआ है।पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत नहीं करना और	गांव में एक सरजेला नाम का तालाब है जिस में पूरे में पानी भरा रहता है। नहर भी है। नाले पर एक एनीकट है। पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।

हैंड पंप	तथा वहाँ से सिंचाई हेतु नहर निकलने में रूचि नहीं लेना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गांव के लोगों की जागरूकता में कमी।	बनाना।बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जा सकता हैं।	
आजीविका के साधन	गांव की सभी पहाड़ियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गांव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती, तलाब की मरम्मत करके मछली पालन से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा।उन्नतशील बीज का अभाव।जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गांव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना।जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना।गांव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना।खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव।सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा –

नजरिया नक्शा - नवलश्याम

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	वृद्धा पेंशन	8	8
2	एकल नारी पेंशन	1	1
3	विकलांग पेंशन	3	3
4	पालनहार पेंशन	2	2
5	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास नये आवेदन	6	6

6	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास भुगतान की किश्त बकाया	2	2
7	शौचालय निर्माण के संबंध में	17	17
8	विद्यालय के संबंध में प्राथमिक विद्यालय बामदरा No. 2 (जो कि 4 साल से बंद है उसे पुनः शुरू करवाना) अध्यापकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय वगात फला में 2 अध्यापक फूटे तालाब विद्यालय में 3 अध्यापक दोनों विद्यालयों में तीन-तीन कमरों का निर्माण वगात फला विद्यालय में छत मरम्मत शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आर.ओ.वाटर प्यूरीफायर शौचालय में पानी की व्यवस्था	2	--
9	आंगनवाड़ी के संबंध में वार्ड नंबर 3 में नई आंगनवाड़ी खोलना बामदरा 1 में आंगनवाड़ी की मरम्मत वगात फला में नई आंगनवाड़ी खोलना	3	150
10	राशन की दुकान के संबंध में बामदरा फला में कमरा निर्माण वगात फला में कमरा निर्माण	2	250
11	आपसी विवाद निपटारा गांव सभा में करने के संबंध में	1	समस्त गाँव के परिवार
12	सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के संबंध में मौताणा पर रोक बालश्रम पर रोक बाल विवाह पर रोक डायन प्रथा पर रोक	1	समस्त गाँव के परिवार
13	तालाब की मरम्मत व सफाई करने के संबंध में	1	समस्त गाँव के परिवार
14	रास्ता निर्माण के संबंध में कच्चा रास्ता - 8 मुख्य सड़क - 1	9	समस्त गाँव के परिवार
15	खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, कुआं-मरम्मत/गहरीकरण, कुआं-निर्माण, खेत तलावड़ी तथा पशु बाड़ा निर्माण के संबंध में	34	34
16	वृक्षारोपण के संबंध में मंदिर पर खाली जगह पर सामुदायिक चरागाह में वृक्षारोपण व्यक्तिगत वृक्षारोपण	42	समस्त गाँव के परिवार
17	हैंडपंप के संबंध में मरम्मत	8	8
	नया हैंडपंप	17	17
18	एनीकट निर्माण और मरम्मत के संबंध में -		समस्त गाँव के परिवार
	एनीकट निर्माण - 15	15	
	मरम्मत - 1	1	
19	R.O. (रिवर्स ऑस्मोसिस) वॉटर प्यूरीफायर प्लांट लगाने के संबंध में		

	एक R.O. प्लांट वगात फला में	1	300
	एक R.O. प्लांट बांमदरा फला	1	300
20	श्मशान घाट मरम्मत सफाई के संबंध में	1	--
21	काबीज भूमि पर व्यक्तिगत दावा	--	--

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया – फोटो गैलेरी

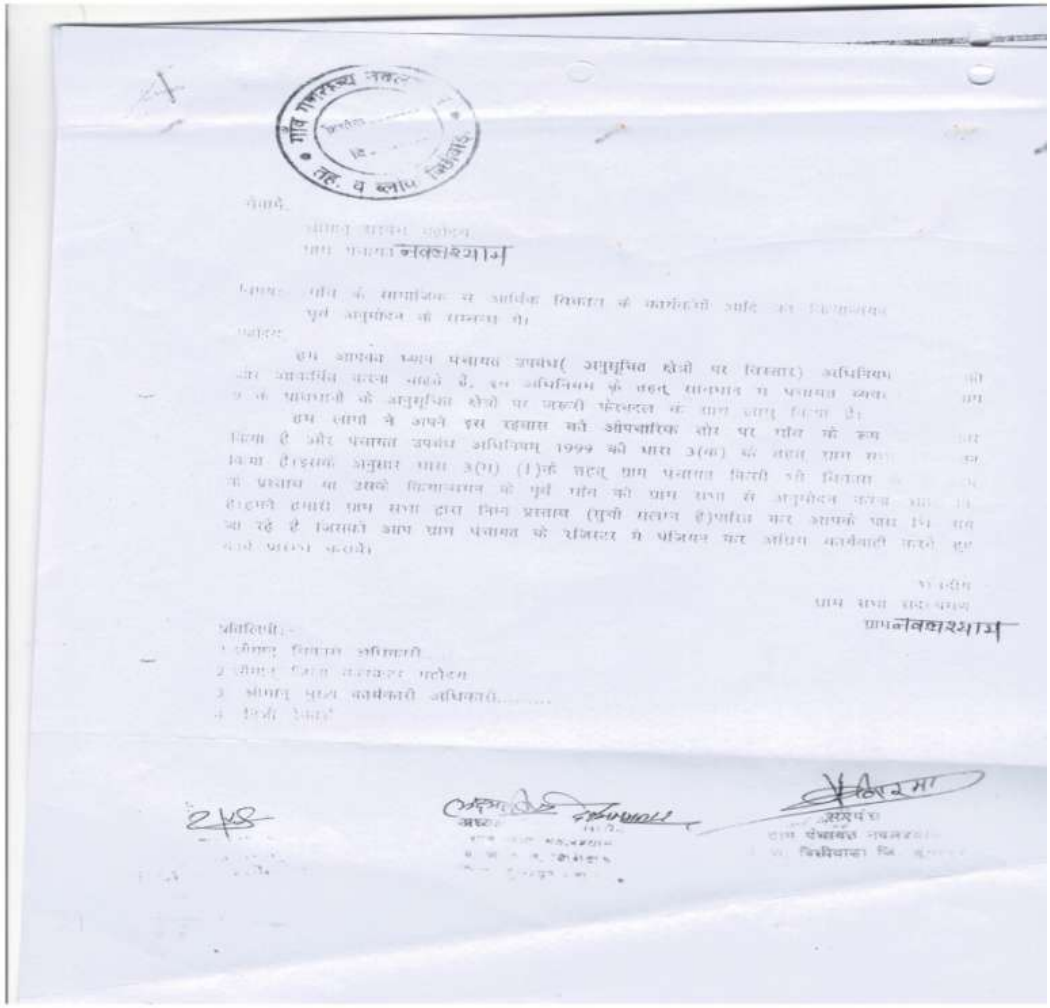

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

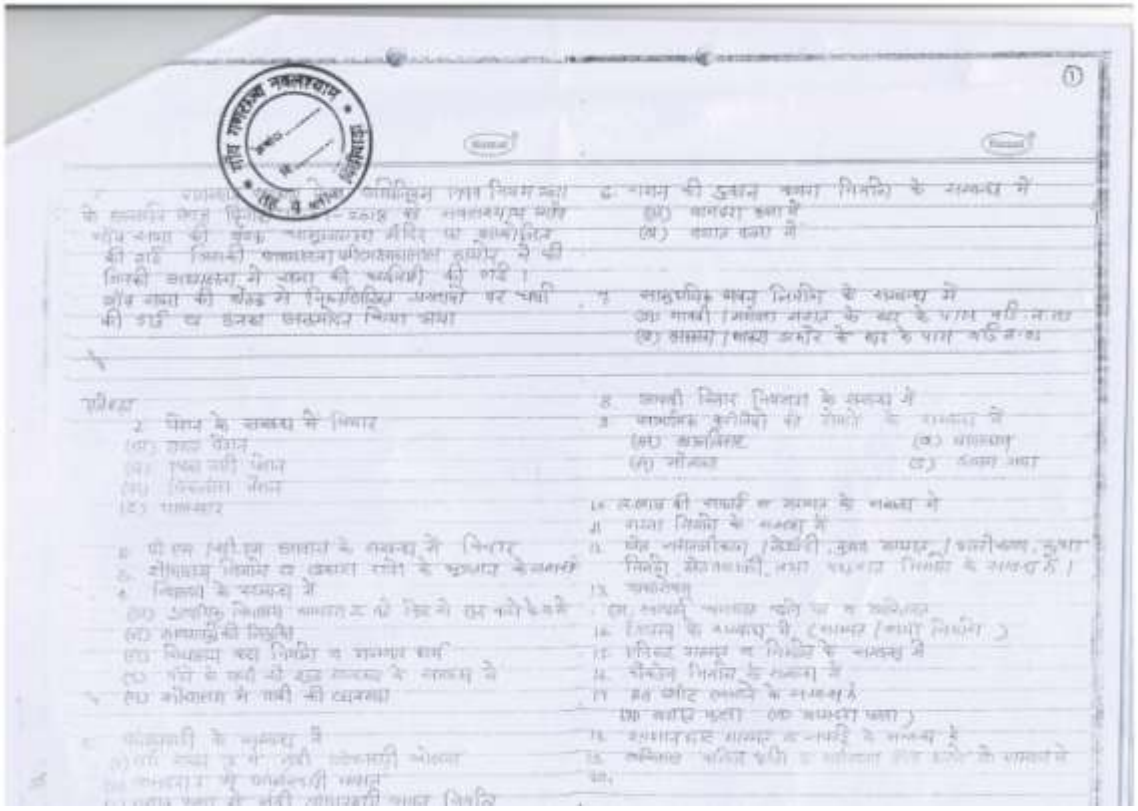

प्रस्ताव प्रथम पेज

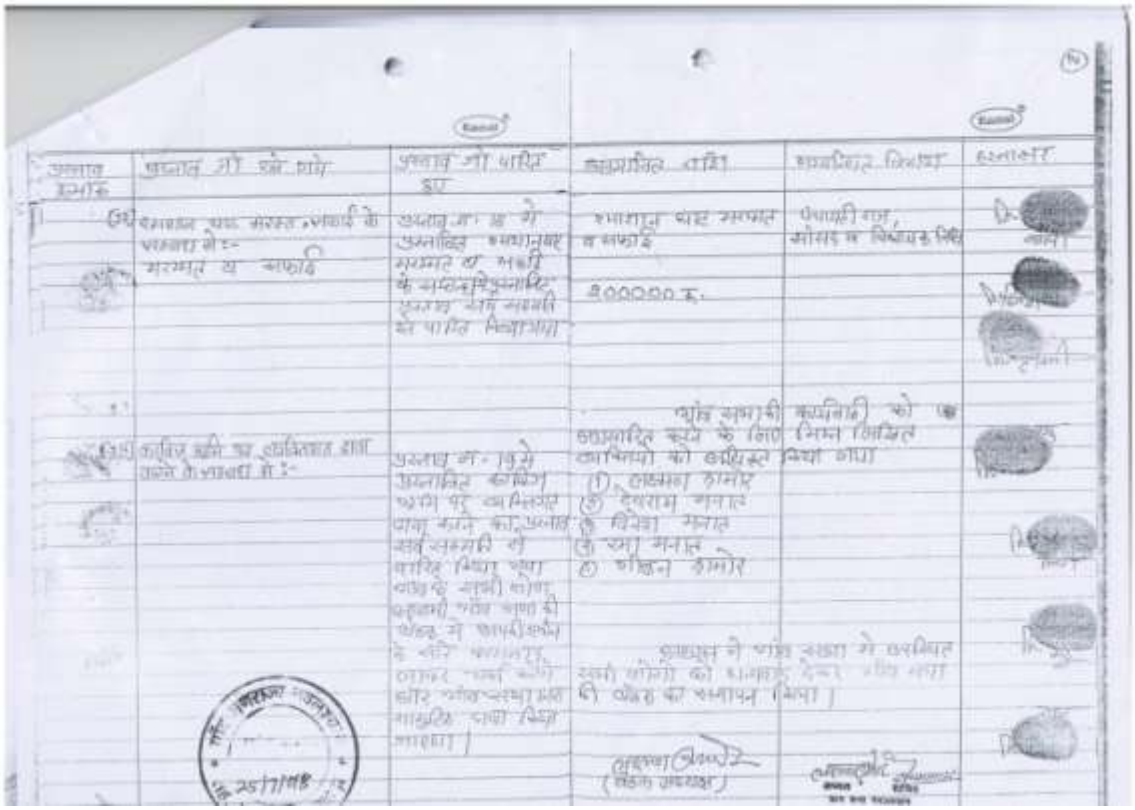

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) –

नाम	**फोन न.**
1. देवराम मंगला जी मनात –	9587859032
2. लक्ष्मण थावरा जी डामोर –	8890640673
3. रमा लक्ष्मण जी मनात –	9680096721
4. दिनेश मनात	